

कार्यालय,

राजिवं प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश संघनज।

संख्या:- प्राशिक्षापरिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संघनज: दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली जार्ज्सी काउन्सिल ऑफ इडिजिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० संघनज से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक संघनज हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रावधान प्रवेश समता वृद्धि सहित अन्य सटी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० संघनज द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रावधान एवं उसमें अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1595-DEY TECHNICAL CAMPUS			
क्र०सं०	प्रावधान का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, संशुद्ध विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इकाई प्रावधान हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक जार्ज्सी प्रावधान हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक प्रावधानों (दो वार्षिक जार्ज्सी प्रावधान के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शिक्षण

द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। किस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीज का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीज की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार नियोजन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविधियों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं विदेशिक प्राविधिक शिक्षा, 2010, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2010 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2010 द्वारा बनाये गये विद्यार्थी, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आइ0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम लिया जाता है तथा राज्य वाद के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखिल द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आइ0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम अपरतम विद्यार्थी का अनुयायन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिष्टाचारविहीन हेतु उपयुक्त मातांशरण उपलब्ध कराने के लक्ष्य शिष्टाचार रखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन से प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अंतर्गत स्थानीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आइ0 परिषद के मातृकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त का ही होगा।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का तदनुकरण न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुयायनसूचक कार्यवाही की जायेगी।


(एफ0आर0 खान)

सचिव

पु0सं0- प्राविप/परिषद सन्वदता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-



(समाचार विभाग)

सचिव

कार्यालय,

राजिवं प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश अधिनियम।

संख्या:- प्राविषा/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

सम्बद्धता दिनांक 06/08/2021

कार्यालय तप:-

अधिनियम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कउविस्वा और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विदेशीया राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० अधिनियम से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् 2021-22 हेतु आह्वित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश समता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विदेशीया राष्ट्रीय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० अधिनियम द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1505-DEV TECHNICAL CAMPUS, AGRA FIROZABAD NATIONAL HIGHWAY,REHANKHURD, AGRA			
क्र०स०	पाठ्यक्रम का नाम	र०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था र०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद बजट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982, सेक्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य निर्मित विद्युत एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय कुंजी० पाठ्यक्रमों हेतु र० 33150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय/राज्यीय पाठ्यक्रम हेतु र०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय/राज्यीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु र०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक आवकता से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने

कार्य शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदुत्तरा कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जैसे निर्धारण समिति द्वारा बटि कर 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की समीक्षात्मक दरें त्रानु होंगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाकर) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित इच्छा को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार विद्यमान एवं सम्बद्धता शुरूक जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को १०/अई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से जालसा कर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उपरोक्त, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरोक्त तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपरोक्त द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यों परीक्षाओं की संस्थाओं बटि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में तत्काल उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बट्टा टाकर किया जाता है तथा टाकर बट्ट के संबंध में नए न्यायनय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अदेश निर्गत किया जाता है तो तत्काल प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यों परीक्षाओं संभावित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अमनज द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु वास्तविक प्रवेश होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यालयों के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत संबंधित अपेक्षा नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की सफल सूचनारें जैसे संस्था की प्रतिहारिक प्रति प्रति, स्थाप, सफल-सफल, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाले शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त आवाकण उपलब्ध कराने के साथ रजिस्टर रोकने के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो के कि संस्था में प्रस्तावित/ संभावित परीक्षाओं को चलाने वाले हेतु निर्देशक समिति के समस्त उपलब्ध बनाये गये अधिकार, भूमि-अवकाश, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का बटि संस्था द्वारा किसी अन्य परीक्षाओं के संभावित ही प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निर्देशक टीम यह कि संस्था में भूमि, अवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य जात-सज्जा १०/अई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के ज्ञानानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोतकर)

सचिव

पुसं०- प्राधिप/परिषद सन्कल्पता/2021/3538-4809

दिनांक: 05/08/2021

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/प्रतिदेशक DEY TECHNICAL CAMPUS, AGRA FIROZABAD NATIONAL HIGHWAY, REHANKHURD,
AGRA



(सुनील कुमार, सीनियर)

सचिव

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश अखण्ड।

संख्या:- प्राशिया/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

अखण्ड दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय नमः-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक वर्ष 2023-24 हेतु पूर्व से संबन्धित विनियोज्य राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदित विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० अखण्ड के सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समस्त दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वर्ष 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदित विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसूचन में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसूचन में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० अखण्ड द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु विनियोजित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश सामग्री हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1505-DEV TECHNICAL CAMPUS

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के वर संख्या 311/18-3098/6/2022 टी0सी0-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संबन्धित संस्था संस्थाओं की जीव के विरुद्ध मामलीय न्यायालय में पंजिस्ट रिट बाधिका संख्या 6027/2023 में भारतीय न्यायालय के अतिरिक्त निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के आचार के अनुसार संस्थान में सम्पूर्ण स्थापना (मृत्ति, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकरी 1992, विनियमकरी-2000, संशोधन विनियमकरी-2018 तथा समय-समय पर निर्गत आनतदेशीय का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही सर्वत्र लागू करने में प्राप्त किया जाएगा। उपायन के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत द्वारा निर्गत किये जाने वाले आनतदेशीय समती होगी और तदनुसार कार्यवाही किया गया जायक होगा। शैक्षिक निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2023-24 हेतु शैक्षिक का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शैक्षिक की स्वीकृत्यन दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में तयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदन पत्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धन शुरू करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधित्तियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा 2020 संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद 2020 द्वारा बताये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का समय-समय के सिधे बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय स्तरीय शिक्षा परिषद/समूची आयोगिता जोड़ डूडिया, लड़े टिन्की से अनुमोदन मिलान किया जाता है तं इस संबंध में समस्त उत्तराखण्डिक संस्था का होगा और सिधेक लठ से विन्की भी बाध्यकारी के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के सिधेक यदि कोई बात टापर किया जाता है तथा टापर बात के संबंध में लठ त्यागवालय टूला किसी प्रकार की प्रतिद्वंद्वि संबंधी अदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिद्वंद्वि संबंधित संस्था को बागी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु अद्यतनितिंग बाध्य होने के पूर्व अखिल भारतीय स्तरीय शिक्षा परिषद/समूची आयोगिता जोड़ डूडिया, लड़े टिन्की से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत सर्वश्रेष्ठतम अपदेशन निर्देशों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूति, स्थापना, मान-सठना, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-प्रतिभाषण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग होने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को सहाय करने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, जलौद्य, उपकरण इन्स्टाटि का बाटे संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में बाधना किया जाता है और परिषद को इनकी जानकारी होने के लिए संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धन समाप्त किया जाने की बाध्यकारी को बाधनी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितिओं और उपसमितियों, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमबाधी 2020 के प्राविधिक/सहाय परिषद की भाग पर अपने बाध्यकारी, भवन और जलौद्य को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखनी।
- ✓ संस्था के अधिकार स्थलिक निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूति, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य मान-सठना ए0ए0ई0सी0टी0ई0ई0 पी0सी0आइ0/परिषद के सातकादुसा उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धन समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धन बागी का अनुपालन न किया जाने अथवा बागी का उल्लंघन किया जाने की स्थिति में विधिसूत्रा अनुशासनात्मक बाध्यकारी की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पृ0स0- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक/DEV TECHNICAL CAMPUS



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव